



प्रेस नोट, जालौन पुलिस
दिनांक - 11.10.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली कॉच पुलिस द्वारा अवैध आतिशबाजी/पटाखा (कीमत करीब दो लाख रुपये) को एक दुकान से बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.10.2024 को कोतवाली कॉच पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चेंकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/ वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुहल्ला लाजपतनगर कस्बा कॉच में एक दुकान पर दबिश दी गयी, जहां से बड़ी मात्रा में बिना किसी वैध लाईसेंस के बन्द कमरे में रखे गये 09 जूट की बोरीयों में देशी दीवाल बम्ब व 647 पैकेट/डिब्बे अवैध पटाखे विभिन्न कम्पनियों के व एक गत्ता माचिस व आधी प्लास्टिक की बोरी में देशी मस्ताव (अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये) आदि बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दो व्यक्ति मौके से रात का फायदा उठाकर फरार हो गये हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

कोतवाली कॉच में अन्तर्गत धारा 5/9 (ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वैभव शुक्ला पुत्र स्व० श्रीकान्त शुक्ला निवासी शुक्ला मार्केट मुहल्ला लाजपत नगर थाना कॉच जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण-

1. 09 जूट की बोरी में देशी दीवार बम
2. 270 पैकेट फूलझडी
3. एक गत्ता माचिस बाक्स
4. 10 डिब्बा स्नैक गोली
5. 32 पैकेट फूलझडी रंगीन
6. 05 डिब्बा 6 SHOT पटाखा
7. 160 पैकेट चकरी
8. 80 पैकेट अनार
9. 70 डिब्बा 12 शाट पटाखा
10. 20 पैकेट ROLL CAPS THRISULS
11. आधी बोरी में रोशनी वाले देशी मस्ताव

पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कॉच मथ टीम।